(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 163/2023 **जीसीएमएस नम्बर :— 2023/666**

1. उदयभान पुत्र वेदप्रकाश उम्र 33 साल जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र बनवारी जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. कमला पत्नी वेदप्रकाश जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. सन्तोष पुत्री वेदप्रकाश जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. बनारसी देवी पत्नी खुशीराम जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. बिमला पुत्री बनवारी जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. महेन्द्र सिंह पुत्र खुशीराम जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. मोहित सिंह पुत्र महावीर प्रसाद जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद बड़ का कुआ तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
9. रामभरोस पुत्र खुशीराम जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
10. विरमती पुत्री खुशीराम जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
11. शेरसिंह पुत्र पीरू जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
12. होशियार सिंह पुत्र पीरू जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

.....प्रतिववादीगण

दावा बाबत— घोषणात्मक, अन्तगर्त धारा 88 राज. कास्त. अधि.

—:निर्णयः— **दिनांकः—**

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाके ग्राम घसेड़ा स्थित खाता संख्या 24 तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के ख0 न0 [illegible] रकबा 0.02 है0, ख0 न0 550 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 590 रकबा 0.26 है0, ख0 न0 604 रकबा 0.45 है0, ख0 न0 605 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 615 रकबा 0.34 है0, ख0 न0 71 रकबा 1.75 है0, कुल

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

किता 7 कुल रकबा 4.04 है0 में वादी 1/96 हिस्सा का खातेदार था तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/96 हिस्सा था तथा प्रतिवादी सं0 1 की माता गिन्दो देवी पत्नी बनवारी का इस भूमि में 1/32 हिस्सा था जिनकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार था जिस पर सभी खातेदार अपने अपने हिस्से व बाहमी बटवारे अनुसार शान्ति पूर्वक काबिज कास्त हैं।

2. यह कि जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के अनुसार प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 तथा प्रतिवादी सं0 1 की माता गिन्दा देवी पत्नी बनवारी ने अपने अपने सम्पूर्ण हिस्से का हक त्याग वादी के पक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2015 को पजीकृत हकत्याग विलेख द्वारा कर दिया था। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने 1/32 हिस्सा का, प्रतिवादी सं0 2 ने अपने 1/96 हिस्सा का, प्रतिवादी सं0 3 ने अपने 1/32 हिस्सा का हकत्याग वादी के पक्ष में दिनांक 22.07.2015 को कर दिया था। इस प्रकार वाद पत्र के खण्ड सं0 1 में वर्णित भूमि में अब वादीका 3/32 हिस्सा है।

3. यह कि प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 तथा प्रविवादी संख्या 1 की माता गिन्दो देवी पत्नी बनवारी द्वारा करवाये गये पंजीकृत हकत्याग विलेख में सहवज से पेज संख्या 4 में विजेन्द्र, महिपाल पुत्रान चन्दगीराम उम्र कमशः 44, 40 साल पेशा कास्त जाति जाट निवासी गाड़ाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 टंकणीय भूल से दर्ज हो गया है। जिस कारण से वादी के नाम से वादवर्णित भूमि में नामान्तरकरण दर्ज नही हो सका है तथा सेग्रीगेशन में वादी का पता भी जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया गया जिसके लिए वादी को यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि ग्राम घसेड़ा स्थित भूमि खाता संख्या 131 जमाबन्दी सम्वत 2075 –78 के हाल ख0 न0 542 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 550 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 590 रकबा 0.26 है0, ख0 न0 604 रकबा 0.45 है0, ख0 न0 605 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 615 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 71 रकबा 1.75 कुल किता 7 कुल रकबा 4.04 है0, में वादी का 3/32 हिस्सा होने से एवं वादी का जमाबन्दी में पता हाल आबाद बड़ का कुआ नारनौल कर वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिस का मुद्रा में मूल्याकन नही किया जा सकता है।

5. यह कि वाद पत्र के आधार विवाद वर्णित भूमि में वादी का 3/32 हिस्सा होने से तथा हकत्याग विलेख में टकंणीय भूल होने से वादी का नाम से हकत्याग विलेख का नामातरकरण दर्ज नही पाने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

6. यह कि प्रतिवादी सं0 4 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है उक्त प्रतिवादीगण के विरूध वादी कोई रिलिफ नही चाहता है ना ही प्रतिवादी सं0 5 लगायत 12 का कोई हित प्रभावित होता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं0 5 लगायत 12 की तामील बन्द कर पत्रावली आदेश देने का श्रम करें। इस भूमि में काश्तकार होने से उन्हे प्रफोर्माके रूप में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

7. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम घसेड़ा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी की हदूद में है इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

8. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1 रूपया इसलिए दावा कुल 1 रू कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान जी की सेवामें पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

9. यह कि वाद पत्र के सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ अपडेटेड रिकार्ड वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः—

(क). कि वाके ग्राम घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के हाल खाता संख्या 131 जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के हाल ख0 न0 542 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 550 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 590 रकबा 0.26 है0, ख0 न0 604 रकबा 0.45 है0, ख0 न0 605 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 615 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 71 रकबा 1.75 कुल किता 7 कुल रकबा 4.04 है0, में वादी को 3 / 32 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इस भूमि से कमला पत्नी वेदप्रकाश प्रतिवादी संख्या 2 संतोष पुत्री वेदप्रकाश प्रतिवादी संख्या 3 महावीर पुत्र बनवारी प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता गिन्दो देवी पत्नी बनवारी का हजफ किये जाने का आदेश दिया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश हिस्से का खाता प्रतिवादीगण से विभाजित कर लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने कि कृपा करें।

(ख). कि दावा वादी विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो अयाचित रह गया हो जिसे माननीय न्यायालय हाजा उचित समझे वादी को दिलवाया जावे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 4 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति0 सं0 5 लगा0 12 इस भूमि में कास्तकार होने से उन्हे प्रफोर्मा के रूप में प्रति0 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रति0 के विरूद्ध वादी कोई रिलिफ नही चाहता है ना ही प्रतिवादी सं0 5 लगा0 12 का कोई हित प्रभावित होता है। प्रतिवादी सं0 2, 3 की ओर से श्री अनुप सिंह यादव ने वकालतनामा पेश कर इकबालीया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम घसेड़ा स्थित भूमि हाल खाता सं0 131 जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के हाल ख0 न0 542 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 550 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 590 रकबा 0.26 है0, ख0 न0 604 रकबा 0.45 है0, ख0 न0 605 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 615 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 71 रकबा 1.75 कुल किता 7 कुल रकबा 4.04 है0, में वादी को 3 / 32 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इस भूमि से कमला पत्नी वेदप्रकाश प्रतिवादी सं0 2 संतोष पुत्री वेदप्रकाश प्रतिवादी सं0 3 महावीर पुत्र बनवारी प्रतिवादी सं0 सं0 1 तथा प्रतिवादी सं0 1 की माता गिन्दो देवी पत्नी बनवारी का हजफ किये जाने का आदेश दिया जाकर इस भूमि में वादी का 3 / [illegible] दर्ज कर वादी का पता भी सा. देह करने का आदेश दिया जाता है जो हमें [illegible] नहीं है। मुताबिक वादी का दावा पक्षकारान के हिस्सेअनुसार कब्जेअनुसार दावा [illegible] किया जाने से हमे कोई एतराज व आपत्ति नही है बल्कि सहमत हैं। हिस्सानुसार अलहेदा खाता व लगान कायम किया जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(3). दावा वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए। एवं वादी द्वारा प्रस्तुत मूल हक त्याग दिनांक 22.07.2015 पेश किया गया जिसमें 1. गिन्दो देवी पत्नी बनवारी, 2. महावीर पुत्र बनवारी, 3. कमला पत्नी स्व0 वेदप्रकाश, 4. सन्तोष पुत्री वेदप्रकाश द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से को वादी के पक्ष हक त्याग करवा दिया गया है।

–::आदेश::–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के हाल खाता संख्या 131 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के हाल ख0 न0 542 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 550 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 590 रकबा 0.26 है0, ख0 न0 604 रकबा 0.45 है0, ख0 न0 605 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 615 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 71 रकबा 1.75 कुल किता 7 कुल रकबा 4.04 है0, में वादी को 3/32 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इस भूमि से जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादी सं0 2 कमला पत्नी वेदप्रकाश हिस्सा 1/96 , प्रतिवादी संख्या 12 संतोष पुत्री वेदप्रकाश हिस्सा 1/96, प्रतिवादी संख्या 7 महावीर पुत्र बनवारी हिस्सा 1/32, तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता गिन्दो देवी पत्नी बनवारी का हिस्सा 1/32 हजफ किये जाने का आदेश दिया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे /हिस्से/खसरा नम्बर के विरूध्द दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 02/4/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 163/2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023/666**

निर्णय दिनांक :–

उदयभान **बनाम** महावीर आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक, अन्तगर्त धारा 88 राज. कास्त. अधि.

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री मनु यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं0 2, 3 की ओर से श्री अनुप सिंह यादव उपस्थित व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में आज तारीख 02/4/24 को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

“न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के हाल खाता संख्या 131 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के हाल ख0 न0 542 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 550 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 590 रकबा 0.26 है0, ख0 न0 604 रकबा 0.45 है0, ख0 न0 605 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 615 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 71 रकबा 1.75 कुल किता 7 कुल रकबा 4.04 है0, में वादी को 3/32 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इस भूमि से जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादी सं0 2 कमला पत्नी वेदप्रकाश हिस्सा 1/96 , प्रतिवादी संख्या 12 संतोष पुत्री वेदप्रकाश हिस्सा 1/96, प्रतिवादी संख्या 7 महावीर पुत्र बनवारी हिस्सा 1/32, तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता गिन्दो देवी पत्नी बनवारी का हिस्सा 1/32 हजफ किये जाने का आदेश दिया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे /हिस्से/खसरा नम्बर के विरूध्द दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।”

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02/4/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:56 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना